समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

फोन नं0–(06183)222335(R),222336(O)
ई–मेल – dm.buxar.bih@nic.in

मो0–8544426112
ई–मेल – dsobuxar1@gmail.com

श्री अरविन्द कुमार, उप विकास आयुक्त बक्सर–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपूर्ति शाखा, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 05.05.2020 को आयोजित आपूर्ति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितः– यथा पंजी।

आज दिनांक 05.05.2020 को उप विकास आयुक्त बक्सर–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपूर्ति शाखा, बक्सर की अध्यक्षता में कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण की स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित राशन कार्डधारियों के अलावा वैसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है का राशन कार्ड निर्गत कर उपलब्ध कराने हेतु बैठक आयोजित की गई है। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को विभागीय आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गई तथा इसके सफल कार्यान्वयन हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं निम्नाकिंत निर्णय लिये गये :–

1. बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि जीविका, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चिन्हित कर सूची तैयार कर e-PDS के Website पर प्रविष्टि किया जा रहा है। उक्त नये चिन्हित परिवार में से पात्र लाभुकों को नियमानुसार नये राशन कार्ड निर्गत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0–4306 दिनांक 22.04.2020 द्वारा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत राशन कार्ड में संशोधित किया गया है, जिसके आलोक में नया राशन कार्ड निर्गमन करने की कार्रवाई की जानी है।
2. बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जीविका द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रोत्साहित ग्राम संगठनों द्वारा योग्य स्वयं सहायता समूह से जुड़े परिवारों का प्रपत्र 'क' एवं 'ख' के अनुसार आवेदन पत्र तैयार किये जाऐंगे। आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित आवासीय प्रमाण–पत्र की छायाप्रति या आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित संबंधित ग्राम संगठन द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की छायाप्रति मान्य होगी। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के नियमावली में संशोधन के तहत ग्राम संगठनों द्वारा अनुसंशित समूह सदस्यों का आवासीय प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। ग्राम संगठन द्वारा प्रपत्र 'क' एवं 'ख' के अनुलग्नक के रूप में परिवार के सभी सदस्य जिनका नाम आवेदन पत्र में है का आधार संख्या एंव मुख्य आवेदक का बैंक खाता संख्या जो आधार से जुड़ा हो के पृष्ट जिसपर खाता संख्या, IFSC कोड और नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो की छायाप्रति संग्रहित किया जाऐगा तथा इससे संबंधित प्रपत्र ''क'' एवं ''ख'' मुद्रित किया जाना आवश्यक है।
3. बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय निर्देश के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्रपत्र 'क' एवं 'ख' जीविका के प्रखंड कार्यालयों को उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में जीविका अपने स्तर से मुद्रित कारवाकर आवेदन लेने का कार्य आरंभ करेंगे तथा एन0आई0सी0 द्वारा स्वीकृत सूची जीविका एवं अनुमण्डल पदाधिकारी से साझा किया जाएगा ताकि इसके अनुरूप आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

4. बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि यह एक महत्वपूर्ण विभागीय कार्यक्रम है, जिसमें राशन कार्ड से वंचित परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना है। जीविका के प्रखण्ड समन्वयकों द्वारा जिला समन्वयक को लाभुकों से विहित प्रपत्र ''क'' एवं ''ख'' में फार्म भरवा कर हस्ताक्षर लेना सुनिश्चित करेंगे तथा उसकी Entry संबंधित प्रखण्डो में कराते हुए संबंधित सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को आवेदन उपलब्ध कराऐंगे जिसे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी संबंधित पंचायतों के कर्मियो से यथाशीघ्र जाँच कराकर अनुमण्डल कार्यालय को स्पष्ट अनुशंसा सहित उपलब्ध कराना सुनिश्ति करेंगे, ताकि राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाय।
5. बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर तथा डुमरॉव को जीविका से समन्वय स्थापित कर राशन कार्ड से संबंधित प्रपत्र ''क'' तथा ''ख'' छपवाने का निर्देश दिया तथा इससे संबंधित आवंटन प्राप्त होने पर उपलब्ध कराने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर को दिया गया। साथ ही जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर को दिनांक 06.05.2020 तक जीविका से संबधित Entry Date dh Soft Copy उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

Sd/

उप विकास आयुक्त–सह
वरीय प्रभारी पदाधिकारी
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर।

ज्ञापांक 73 म० /आ0, दिनांक 6/5/2020

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर/आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बक्सर (जीविका) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, बक्सर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

6/05/20

उप विकास आयुक्त–सह
वरीय प्रभारी पदाधिकारी
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर।